प्रेस नोट

दिनांक 05.02.2026

07 अभियुक्तगणों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के **थाना बिवांर, कोतवाली नगर, सुमेरपुर, राठ** से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- बृजेश पुत्र दयाशंकर निवासी चन्दुलीतीर, थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर दिनांक 07.01.2026 से 06 माह।
2. अभियुक्त- मोनू निषाद पुत्र आशाराम निषाद निवासी कुछेछा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर दिनांक 20.01.2026 से 06 माह।
3. अभियुक्त- बलवीर पुत्र दयाशंकर निषाद निवासी चन्दुलीतीर थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर दिनांक 07.01.2026 से 06 माह।
4. अभियुक्त- आशीष उर्फ अन्शु तिवारी पुत्र हरिओम तिवारी निवासी झण्डा मैदान कस्वा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर दिनांक 07.01.2026 से 06 माह।
5. अभियुक्त- सुजीत सिंह चौहान पुत्र नवल सिंह उर्फ पप्पू चौहान निवासी ग्राम सायर थाना बिवांर जनपद हमीरपुर दिनांक 09.01.2026 से 06 माह।
6. अभियुक्त- आशीष राजपूत उर्फ डबूला पुत्र रज्जू उर्फ राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर दिनांक 12.01.2026 से 06 माह।
7. अभियुक्त- महेश राजपूत पुत्र मियाजी लाल निवासी ग्राम औडेरा थाना राठ जनपद हमीरपुर दिनांक 23.01.2026 से 06 माह।